मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल
// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014

क्रमांकः एफ 9-4/2014/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम,1976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 47 में, उपनियम (7) में, -

(एक) खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
"(ii) किसी विधवा की मृत्यु पर उसकी परिवार पेंशन का हिस्सा उसके पात्र बच्चे को देय होगाः

परन्तु यदि विधवा का कोई जीवित पात्र बच्चा नहीं है, तो उसकी परिवार पेंशन का उक्त हिस्सा व्यपगत नहीं होगा, अपितु द्वितीय पात्र विधवा को देय होगा.".

(दो) खण्ड (ख) में, अर्द्ध विराम का लोप किया जाए तथा उसके पश्चात् कोलन स्थापित किया जाए एवं निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"परन्तु किसी विधवा या विधवाओं के ऐसे बच्चे या बच्चों को देय परिवार पेंशन का हिस्सा किसी कारण से रोक दिया गया है, तब पेंशन का ऐसा हिस्सा व्यपगत नहीं किया जाएगा, परन्तु अन्य पात्र विधवा या विधवाओं और/या अन्य बच्चे या बच्चों को जो कि पात्र हैं बराबर-बराबर हिस्सा देय होगा । यदि केवल एक विधवा या बच्चा पात्र है तब, ऐसी रक़म उसे/उसको संदाय की जाएगी;";

(तीन) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"(घ) जहां परिवार पेंशन जुड़वा बच्चों को देय है, वहां उनको बराबर-बराबर हिस्से में संदत्त की जाएगी :

परन्तु यदि जुड़वा बच्चों में से एक की मृत्यु अथवा अपात्र हो जाने पर, उसके पेंशन का हिस्सा व्यपगत नहीं किया जाएगा, परन्तु अन्य जीवित या पात्र बच्चे को संदत्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि सभी जुड़वा बच्चों की मृत्यु अथवा अपात्र होने की दशा में परिवार पेंशन अगले पात्र जुड़वा बच्चों को संदत्त की जाएगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/Amend 2014

Government of Madhya Pradesh
Finance Department
Mantralaya, Bhopal

Bhopal, dated 23 December, 2014

No. F-9-4/2014/Rule/IV, In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Pensions) Rules, 1976, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 47, in sub-rule (7), -

(i) for sub-clause (ii) of clause (a), the following sub- clause shall be substituted, namely :-

"(ii) On the death of a widow, the part of her family pension shall be payable to her eligible child:

Provided that if the widow has no living eligible child, then the said part of the family pension shall not lapse, but shall be payable to the second eligible widow.".

(ii) In clause (b), the semi colon shall be omitted and thereafter colon shall be substituted and the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that the part of family pension payable to such a child or children of a widow or widows is ceased because of any reason, then such part of pension shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows and /or to the other child or children who are eligible in equal parts. If there is only one widow or child is elibible, then such amount shall be paid to him/her;";

(iii) after clause (c), the following clause shall be added, namely :-

"(d) Where the family pension is payable to twins, it shall be paid to them in equal portion :

Provided that if one of the twins dies or becomes ineligible, his portion of pension shall not lapse, but shall be paid to the other living or eligible child :

Provided further that in case of death or ineligibility of all the twins, the family pension shall be paid to the next eligible twins children.".

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh

(Manish Rastogi)
Secretary,
To Government of Madhya Pradesh
Finance Department

क्रमांक : एफ 9-4/2014/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपिः-

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त कलेक्टर
6. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
8. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
9. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
11. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
17. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
18. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
19. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
20. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
21. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
22. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
23. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
25. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
26. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
27. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
28. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
29. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
30. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
31. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
32. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग